



पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं- 32/2021

महाप्रबंधक(का0)/ हाजीपुर का पत्रांक-ECR/HRD/Rectt/RRB/Panel-ALP/P.art-IV दिनांक. 01.11.2019 के आलाक में इस कार्यालय के भती अनुभाग के टिप्पणी सं-का0/227/नि0/आर आर वी/प0/एएलपी(डी0)/रान/16 दिनांक-05.01.2021 द्वारा रनवा/रादी से चयनित सहायक लॉको पायलट 5200-20200 जी पी-1900/- 7thCPC के अनुसार लेवल-02 को संतोषा हेतु निर्धारित नडिकल श्रेणी-ए वन ग सफल एवं प्रारंभिक प्रशिक्षण से वरिष्ठ प्राचार्य क्षेत्र0प्र0स/मुजाफरपुर का पत्र संख्या-T/327/23/Part-1 ALP/T दिनांक 25.11.2020, गविड़(आपी)/धनबाद का पत्र सं- ELS/422/Rusult/New RRB/ALP dt. 18.12.2020 के आलाक में प्राचाय/ईटोटीसी/इंसीआर/डीडीयू पत्र सं-TRS/TRG/ETTC/Tr ALP/B-144/20 दिनांक-26.12.2020 द्वारा प्रशिक्षण में सफल निम्नलिखित अभ्यर्थी का संतोषा वतन ब्रेड 5200-20200 ग्रेड प-1900/- 7th CPC के अनुसार लेवल-02 न वतन 19900/- एट समय-समय पर स्वीकार अन्य भत्त पर अभ्यर्थी के नाम क सामने अकित लॉकी के अधीन अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति कर पदस्थापित किया जाता है।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम(सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि/ मेडिकल श्रेणी	प्रशिक्षण प्रारंभ की तिथि	पदस्थापना स्थल/ लांबी	फोटो	हस्ताक्षर का नमूना/अमूट का निरान
01.	Abhishek Kumar (SC)	Raj Kumar Paswan	15.01.1996 (Fit in A-1, B-1)	31.01.2020	बरांनी		Abhishek Kumar 

सहायक क्षेत्रीय अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, सानपुर

सहायक क्षेत्रीय अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, सानपुर

कुल- 01(एक) नाम मात्र।

यह नियुक्ति/पदस्थापना अनन्तिम है, जो अभिलेखों के आवश्यक जाच के उपरांत पुष्टि किये जान पर आधारित होगा। इन्हे रेल के प्रादेशिक सेवा इकाई में सानपुर सात वर्षों तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि तक सेवा करनी होगी। नियुक्ति के पश्चात् कम से कम पांच वर्षों तक रेल सेवा में बंध रहना होगा। यदि किसी कारणवश रेल सेवा पांच वर्षों तक करने में असमर्थ होता है या रेल सेवा से हटना चाहत है, तो प्रशिक्षण के दौरान प्रशासन द्वारा किये गये खर्च कर्मचारी को वापस करना होगा। किसी प्रकार का विपरीत/गलती/संदेहास्पद स्पष्ट प्रकाश में आता है, तो उनकी सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रशिक्षण का विस्तार अवधि माना जायेगा। जिसका वृत्तिका देय होगा। ये दिनांक 03.01.2021 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतिकारत रहे है।